

होने/कार सुनिश्चित करने का प्रार्थन से
 फ़ावली वास्तु...
 दिनांक 22/7/20 को पेश हो।

22/7/20
 पत्रावली पेश हुई। वही अधिवक्ता उपस्थित हैं।
 अधिवक्ता स. 1 से 5 तक एवं 7 से 20 तक आयुक्त
 (उचक) के उपस्थित नहीं हैं। अतः इनके स्थलाप
 (उचक) कार्यवाही की जाती है। पत्रावली वाले
 उपाय दिनांक 28/7/20 को पेश हो।

28/7/20
 पत्रावली पेश हुई। वही अधिवक्ता उपस्थित हैं।
 अधिवक्ता स. 22 की ओर से कायदा नं. 1/19/20
 उपस्थित हैं। जिनके द्वारा विवेक विभाग कि सरकार
 कोरमल पत्रावली सरकार द्वारा कोर 21/8/20
 नहीं है। अतः उपाय की कार्यवाही नहीं है।
 वही अधिवक्ता द्वारा कार्य के रूप में वही के कार्य
 एका भाग जो अधिवक्ता उ. मोर 4 है कि मोर से 21/8/20
 पर पेश विवेक अधिवक्ता कि विभाग लाल व
 उ. नं. 1/19/20 का एच डी उपस्थित है। नाम में
 लक्ष्मीधर विवेक जाने में कोर कावली नहीं है। 21/8/20
 पर अधिवक्ता पत्रावली विभाग अफा। आते विवेक
 पत्रावली दिनांक 4.8.2020 को पेश हो।

4-8-2020 पत्रावली पेश हुई पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड
 शपथपत्र व कनक दामोदरजी का कवलीमठ
 विभाग, तो बाधा कि खातेदार बुद्धीलाल के फोटो
 दोन घर पत्थारी हस्ता द्वारा वक्त नामांकन

क्र.सं
 7/20
 (2020/00023)

विभाग
 अधिवक्ता
 दिनांक

कन्हैयालाल 4/5 रमेश-चन्द कौराट

किरात के वादी का नाम कन्हैयालाल के अजायब
बोलता नाम किशोरलाल दर्ज कर दिया जबकि
कनच समाल रेकार्ड दावाकर्ता के नाम कन्हैयालाल
पिता लोहरन लाल जमीन तेली ही दर्ज है वादी द्वारा
कपूर वाद के समर्थन में प्रतिवादी संख्या तीन
रुरेशचन्द एवं प्रतिवादी संख्या पांच इनकी
कोवा लोहरन लाल का शपथ पत्र पेश किया जो
वादी के सगे रिश्तेदार भाई एवं भाग्य ही तथा
वाद बाबत आराज/आत के सदस्यतेदार भी है
साथ ही वादी द्वारा जो दावाकर्ता पेश है उनमें
साराकांड, डाईबरी लाइसेंस, आपत्काल विभाग से जारी
पैन कार्ड, आपत्काल कार्ड, एवं बैंक ऑफ क्रेडिट शाखा
गंगापुर के बैंक खाता भी पासकाल खाता संख्या -
31700100001873 भी प्रति पेश की जो शासित
पत्रावली है से स्पष्ट प्रमाणित है कि वादी का नाम
कन्हैयालाल है इसी स्थिति में वादी का वाद स्वीकार
किया जाना उचित है,

अतः वादी का वाद स्वीकार का आदेश दिया
जाता है कि नाम देवीश्या भी अजायबकी में दर्ज खाता
संख्या 365 366 367, 368 में अंकित आराज/आत
के खातेदार किशोरलाल आत्मज लोहरनलाल के अजायब
कन्हैयालाल आत्मज लोहरनलाल आति कद्रतू (अजायबकी)
रखते हुए नाम दर्ज किया जावे, इसी आदेश दिखी
जारी हो, पत्रावली केसल शमाट होकर गन्वार से
क्रम हो / अमर

